(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 19/2024
दिनांकः 29 अगस्त, 2024

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट–4ञ में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के परिशिष्ट–4ञ में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

1. परिशिष्ट 4ञ तालिका में, मौजूदा प्रविष्टियों को संशोधित किया जाता है जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

क्र. सं.	आयात मद (मदें)	सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से आयात–पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि
1	मसाले (क) काली मिर्च; इलायची और मिर्च मूल्य वर्धन प्रयोजन जैसे कूटने/पीसने/कीटाणुशोधन अथवा ऑयल एवं ऑलियोरेसिन के लिए और सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, पुनः पैकिंग आदि के लिए नही	6 महीने
	(ख) काली मिर्च के अलावा मसाले, मसाले ऑयल एवं ऑलियोरेसिन के उत्पादन हेतु इलायची एवं मिर्च	12 महीने
	(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अलावा	6 महीने
2	अपंजीकृत स्रोत से आयातित औषध (विशिष्ट निर्यात आदेश और आयात–पूर्व शर्त के साथ)	12 महीने
3	चाय	6 महीने
4	नारियल तेल	6 महीने
5	किसी भी रुप में रेशम	12 महीने
6	खाण्ड	6 महीने
7	बहुमूल्य धातु सोना/चांदी/प्लेटिनम (रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित)	4 महीने
8	पेनिसिलिन और इसके लवण [आईटीसी	12 महीने

सं. सारंगी

	(एचएस) कोड सं. 29411010] यदि अपंजीकृत स्रोत से आयातित हो	
9	प्राकृतिक रबड़	6 महीने
10	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–7 और अध्याय–15 के तहत शामिल सभी मदों के निर्यात के .लिए मानदंड समिति द्वारा अधिसूचित सिओन/मानदंडों के पूर्व निर्धारण के अंतर्गत यथा अनुमत आयात मदें	6 महीने *
11	परिधान एवं कपड़ा की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत इन्टर लाइनिंग सहित फैब्रिक (एफटीपी 2023 का पैरा 4.04क)	प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने की तिथि से (आयात की तिथि से नही) 18 महीना तथा इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.40(क), (ख), (ग) और (ड.) में यथा अनुमत समयावधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
12	मक्का (आईटीसी एचएस कोड 1005)	3 महीने
13	किसी भी रुप में अखरोट	6 महीने
14	गेहूं	6 महीने

*(*शिया नट, शिया बटर, पाम मिड फ्रैक्शन, आईएलएलआईपीई कर्नल और ऊल ग्रीज को एक साथ इस तालिका से बाहर रखा गया है)*

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः परिशिष्ट–4ञ के तहत मौजूदा कुछ प्रविष्टियों में सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से आयात–पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि को व्यापार करने मे सुगमता हेतु हितधारकों से परामर्श के बाद तर्कसंगत किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
29.8.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/075/एएम24/पीसी–4 से जारी)